

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 30 सन 2015

अनवान :-

1. भानीराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

- 1 कृष्णलाल पुत्र गिरधारी जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
- 2 मनफुल पुत्र गिरधारी जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
- 3 रामदेव 4. भजनलाल 5. बंशीलाल पि० झाबरमल जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
6. अंगूरी देवी पत्नी झाबरमल जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
7. चमेली 8. सीता 9. लक्ष्मी पि० झाबरमल जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
- 10 दाखा जोजा गुलाब जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर(फोट)
- 10/1 राजीराम 10/2 लालचन्द 10/3 आदराम 10/4 महेन्द्रसिंह 10/5 रामी
- 10/6 गिरदावरी 10/7 धाई पि० गुलाबाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 10/8 विमला पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
- 10/9 विनोद पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन चैनपुरा तहसील नोहर ।
- 10/10 सतवीर पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
11. गोरधन पुत्र लेखुराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।(फोट)
- 11/1 रामेश्वर 11/2 प्रभुदयाल 11/3 शिशपाल पि० गोरधन जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
12. दीपा 13. नोपा पि० डुंगर जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
14. मोहनलाल 15 निराणाराम पि० चुनीराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
- 15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/5/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 74/73 की कुल 6.6900हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज में से वादी ने अपने हक हिस्सा भूमि का उपजाउ बनाया हुआ है जिसे वादी काश्त करता आ रहा है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि का प्रतिवादीगण के साथ सीव लगान आदि का झगडा रहता है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई वादी को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाकर वादी का वाद दिनांक 20.11.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 74/73 की कुल 6.6900हैक् भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत करे।

तहसीलदार राजस्व नोहर ने न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2017 की अनुपालना में अपने पत्रांक 4336 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज जिसका विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने में वादी ने सहमति जाहिर की गई तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ती प्राप्त नहीं हुई है ।

अतः वादीगण का वाद तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अतिन्त डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि भानीराम पुत्र चुनीराम 1/3 हिस्सा, रहिन आरएमजीबी शाखा नोहर, निराणाराम पुत्र चुनीराम 1/3 हिस्सा रहिन एसबीआई शाखा गोरखाना, मोहनलाल पुत्र चुनीराम 1/3 हि राहिन आरएमजीबी शाखा नोहर जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 74/73 के खसरा नं० 918 की 0.8730 हैक् बारानी भूमि रहेगी एवं अंगुरी पत्नी झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह खातेदार, चमेली पुत्री झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, लक्ष्मी पुत्री झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, सीता पुत्री झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, बंशीलाल पुत्र झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, भजनलाल पुत्र झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, रामदेव पुत्र झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, आदराम पुत्र गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, महेन्द्र पुत्र गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, राजीराम पुत्र गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, लालचन्द पुत्र गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, गिरदावरी पुत्री गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, धाई पुत्री गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, रामी पुत्री गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, विनोद पुत्र कृष्णलाल हि 391/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, सतवीर पुत्र कृष्णलाल हि 391/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, विमला देवी पत्नी कृष्णलाल हि 391/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, मनफुल पुत्र गिरधारीराम हि 400/5817 जाति सुनार साकिन देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा मन्दरपुरा, कृष्णलाल पुत्र गिरधारीराम हि 300/1939 जाति सुनार साकिन देह खातेदार, गोरधन पुत्र लेखुराम हि 218/5817 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, प्रभुदयाल पुत्र गोरधन 218/5817 जाति जाट साकिन चैनपुरा रहन एसबीआई शाखा नोहर, रामेश्वर पुत्र गोरधन हि 218/5817 जाति जाट साकिन चैनपुरा रहन एसबीआई शाखा नोहर, शिशपाल पुत्र गोरधन हि 218/5817 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, दीपा पुत्र डुगर हि 809/11634 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, नोपाराम पुत्र डुगर हि 809/11634 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/22 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022

कैम्प कोर्ट.....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भानीराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

- 1 कृष्णलाल पुत्र गिरधारी जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
- 2 मनफुल पुत्र गिरधारी जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
- 3 रामदेव 4. भजनलाल 5. बंशीलाल पि० झाबरमल जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
6. अंगूरी देवी पत्नी झाबरमल जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
7. चमेली 8. सीता 9. लक्ष्मी पि० झाबरमल जाति सुनार निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
- 10 दाखा जोजा गुलाब जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर (फोट)
- 10/1 राजीराम 10/2 लालचन्द 10/3 आदराम 10/4 महेन्द्रसिंह 10/5 रामी
- 10/6 गिरदावरी 10/7 धाई पि० गुलाबाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 10/8 विमला पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
- 10/9 विनोद पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन चैनपुरा तहसील नोहर ।
- 10/10 सतवीर पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
11. गोरधन पुत्र लेखुराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर (फोट)
- 11/1 रामेश्वर 11/2 प्रभुदयाल 11/3 शिशपाल पि० गोरधन जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
12. दीपा 13. नोपा पि० डुंगर जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।
14. मोहनलाल 15 निराणाराम पि० चुनीराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर
- 15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 30 सन 2015 निर्णय दिनांक- 25/5/2022


आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता

कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि भानीराम पुत्र चुनीराम 1/3 हिस्सा, रहिन आरएमजीबी शाखा नोहर , निराणाराम पुत्र चुनीराम 1/3 हिस्सा रहिन एसबीआई शाखा गोरखाना , मोहनलाल पुत्र चुनीराम 1/3 हि राहिन आरएमजीबी शाखा नोहर जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 74/73 के खसरा न० 918 की 0.8730 हेक् बारानी भूमि रहेगी एवं अंगूरी पत्नी झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह खातेदार , चमेली पुत्री झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, लक्ष्मी पुत्री झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, सीता पुत्री झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, बंशीलाल पुत्र झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, भजनलाल पुत्र झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, रामदेव पुत्र झाबरमल हि 571/58170 जाति सुनार साकिन देह, खातेदार, आदराम पुत्र गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार , महेन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुत्र गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, राजीराम पुत्र गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, लालचन्द पुत्र गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, गिरदावरी पुत्री गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, धाई पुत्री गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, रामी पुत्री गुलाबाराम हि 39/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, विनोद पुत्र कृष्णलाल हि 391/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, सतवीर पुत्र कृष्णलाल हि 391/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, विमला देवी पत्नी कृष्णलाल हि 391/1939 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, मनफुल पुत्र गिरधारीराम हि 400/5817 जाति सुनार साकिन देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा मन्दरपुरा, कृष्णलाल पुत्र गिरणारीराम हि 300/1939 जाति सुनार साकिन देह खातेदार, गोरधन पुत्र लेखुराम हि 218/5817 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, प्रभुदयाल पुत्र गोरधन 218/5817 जाति जाट साकिन चैनपुरा रहन एसबीआई शाखा नोहर, रामेश्वर पुत्र गोरधन हि 218/5817 जाति जाट साकिन चैनपुरा रहन एसबीआई शाखा नोहर, शिशपाल पुत्र गोरधन हि 218/5817 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, दीपा पुत्र डुगर हि 809/11634 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार, नोपाराम पुत्र डुगर हि 809/11634 जाति जाट साकिन चैनपुरा खातेदार रहन एसबीआई शाखा गोरखाना रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट...
उपखण्ड अधिकारी
नोहर